

समक्ष : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

I। निगरानी / टीकमगढ / भू-राज / 2017 / 1705

निगरानी / 2017

प्रताप सिंह तनय भगवत सिंह ठाकुर निवासी
बारहों बुजुर्ग तहसील प्रथ्वीपुर जिला टीकमगढ
म.प्र. ।

.....आवेदक

विरुद्ध

देवीसिंह तनय प्रतिपाल सिंह परमार निवासी बारहो बुजुर्ग
तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ म.प्र. ।

.....अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राज्य सहिता 1959 विरुद्ध
कलेक्टर जिला टीकमगढ म.प्र. के प्रकरण क
49/बी-121/2014-15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.
11.2016 के विरुद्ध ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :-

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य :-

1. यहाके , प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कि अनावेदक द्वारा धारा 32 का आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 204/1 3.845 है. के अंश भाग रकवा 1.417 हे0 भूमि पर बिना किसी



श्री. खड्गीश सिंह ठाकुर

द्वारा आज दि. 8-6-17 को

प्रस्तुत

विकास
ऑफिस
राजस्व मण्डल म.प्र.
8-6-17

10/11/17
S. K. P. S.
8/6/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/1705

प्रतापसिंह विरूद्ध देवीसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 49/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 15-11-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 20/2/2019</p>